आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– f 26 (01) CCE/Accounts/Scholarship/Scooty-distribution/2025-26/-27302-10133011 दिनांकः–

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं
प्रोत्साहन राशि योजना, राजस्थान।

विषयः– वर्ष 2025–26 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं देवनारयण छात्रा स्कूटी वितरण योजना हेतु जारी अंतिम वरीयता सूची में चयनित छात्राओं के दस्तावेज जांच एवं स्कूटी वितरण हेतु प्राचार्य/जिला नोडल को जारी किये जाने वाले निर्देशों के क्रम में।

संदर्भः– विभाग का पत्रांक राजकाज 18052088 दिनांक 01.10.2025 एवं राजकाज 18152096 दिनांक 10.10.2025।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वर्ष 2025–26 हेतु विभाग द्वारा दिनांक 22.07.2027 को स्थाई वरीयता सूची जारी की गई। स्कूटियों की आपूर्ति में विलम्ब पंजीयन की लम्बी प्रक्रिया, भण्डारण की समस्या तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने जैसी व्यवहारिक कठिनाई के समाधान एवं कार्य को गति देने हेतु चयनित छात्राओं को विभाग द्वारा विभिन्न OEM (Original Equipment of Manufacturer) के लिए EOI (Expression of Interest) जारी कर अनुमोदित OEM/अधिकृत डीलर की स्कूटी के विभिन्न मॉडल की निर्धारित दरों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित राशि का ई–रूपी वाउचर जारी करते हुए छात्राओं को स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अंतिम वरीयता सूची में चयनित छात्राओं की जिलेवार सूची संलग्न कर समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यावाही किया जाना सुनिश्चित करें –

1. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वर्ष 2025–26 की विभाग द्वारा दिनांक 22.07.2027 को जारी की गई स्थाई वरीयता सूची में चयनित 29419 छात्राओं की पात्रता की जांच के योजना के नियमों के अनुसार किया जाना है।
2. वर्ष 2025–26 की चयनित छात्रा के आनलाईन आवेदन पत्र में अंकित सूचना/संलग्न दस्तावेजों का मिलान छात्रा के मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें।
3. योजना वर्ष 2025–26 में चयनित छात्रा स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर में नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित हुई हो।
4. वर्ष 2025–26 की स्थाई वरीयता सूची में चयनित छात्राओं की पात्रता के सम्बन्ध में योजना के नियमानुसार अंतिम निर्णय प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात योजना के नियमानुसार छात्रा के पात्र पाये जाने पर ही आवेदन पत्र को ई–रूपी वाउचर के माध्यम से स्कूटी हेतु Approve किया जायेगा।

RajKaj Ref No.: 23792038

Digitally signed by DILIP KUMAR GOYAL
Designation: Joint Director
Date: 2026-08-04 12:25:34 IST

v-1.0

5. चयनित छात्राओं के जनाधार पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ई–रूपी वाउचर प्रेषित किया जावेगा। अतः यदि जनाधार पर गलत मोबाइल नम्बर दर्ज है तो लाभार्थी छात्रा द्वारा उसे सही कर अपडेट किया जाना है। एक ई–रूपी वाउचर दो मोबाइल नम्बरों पर जारी नहीं हो सकेगा। छात्राओं के आनलाईन आवेदन पत्रों में Mobile Number को आनलाईन आवेदन पत्र पर अपडेट किये जाने हेतु CENO के स्तर पर फॉरवर्ड किया जायेगा
6. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र Approve किये जाने से पूर्व **"All Documents of students (self) is completely check and student is found Eligible / छात्रा (स्वयं) के सभी दस्तावेज की पूरी तरह से जांच कर ली गई है और छात्रा पात्र पाई गई है।"** का पोपअप मैसेज दिखेगा।
7. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी स्थाई वरीयता सूची में चयनित छात्राओं की सूचना का मिलान मूल दस्तावेजों से किये जाने के पश्चात यदि छात्रा योजनानुसार पात्र है तो आवेदन पत्र में "Eligible for Scooty" और यदि छात्रा नियमानुसार अपात्र है तो "Not Eligible for Scooty" Option पर क्लिक करते हुए छात्रा के आवेदन पत्र को पुनः सबमिट करेंगें।
8. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी छात्रा को स्कूटी वितरण के पश्चात उक्त छात्रा के आवेदन पत्र में "Scooty Distributed" Option पर क्लिक करते हुए छात्रा के आवेदन पत्र को सबमिट करेंगें।
9. ई–रूपी के माध्यम से स्कूटी वितरण के सम्बन्ध में छात्राओं को समन्वय कर पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी की पात्रता सम्बन्धित सूचना के आधार पर **यदि किसी अपात्र छात्रा तथा वर्ष 2025–26 में जिन छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है उनका आवेदन ई–रूपी वाउचर के माध्यम से स्कूटी के लिए Approve हो जाता है तो उक्त की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्राचार्य व जिला नोडल अधिकारी दोनो की व्यक्तिशः होगी।**
11. उक्त समस्त कार्य दिनांक 20.08.2026 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

(संलग्नः– उपरोक्तानुसार)

(डॉ. दिलीप कुमार गोयल)
संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति
कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांकः– f 26 (01) CCE/Accounts/Scholarship/Scooty-distribution/2025-26/-27302-10133011 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. वरिष्ठ निजि सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
3. प्रभारी वेबसाईट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति

RajKaj Ref No.: 23792038

Digitally signed by DILIP KUMAR GOYAL
Designation: Joint Director
Date: 2026-08-04 12:25:34 IST

v-1.0